MR. SPEAKER : I do not know. It is because some of the Members are retiring, we have postponed it by one month and the Rajya Sabha can take a decision. How can I answer for the Rajya Sabha ? We are informing them and they will take a decision as they deem fit.

12.35 hrs.

RE. ARREST OF MEMBERS—*Contd.*

SHRI S. KUNDU (Balasore) : I raise on a point of order under rule 229. With all respect to you, Sir, it is not a question of my being arrested and released. In this morning's parliamentary papers, I read that the information was sent to this office that I was arrested at 11.30 A.M.

Mr. Samar Guha made a mention here about my arrest at about 2.30. Sir, I am referring to Rule 229. My point is that this Rule says that whenever a Member is arrested, immediately it should be intimated to the hon. House. Sir, I was arrested at 11.30 in the morning as corroborated by their papers as also by your parliamentary papers and it will take only ten minutes for the Police to send the intimation to you. But, till 3 O'clock the Lok Sabha was not informed. I would request you, Sir, to kindly find out where the lapse has occurred. Sir, it is not a question of my privilege, it is the privilege of the hon. House.

MR. SPEAKER : I have heard you. You said that there was a time lag—that you were arrested at 11.30 and the information came at about 3 O'clock. Mr. Samar Guha raised the point. It was before me but I thought that when somebody was making a speech, I need not interrupt and that I might announce it after the speech was over. I, therefore, kept quiet. Therefore it is a matter of merits. Whether the Magistrate sent the intimation immediately or there was some delay—I will verify those things. After all, the point is : they were arrested, the Police authorities have to go to their office, get the intimation typed and then send it. They did not do it three days later, they intimated about the arrest the same day. So, what is the point of order ?

12.37 hrs.

JAMMU AND KASHMIR REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SUPPLEMENTARY) BILL.—*Contd.*

MR. SPEAKER : Now before we go to the further discussion on the Railway Budget, I find some hon. Members want to speak about the recent railway accident. I would therefore say, let us extend it by a few minutes. Mr. Mohd. Imam wanted to make some suggestion not now the hon. Member will be called at that time—and he will be given two or three minutes. But there will be no speeches. So we will extend it by a few minutes more.

Before we extend it and take it up, I would like to say that already we have taken 2 hours 5 minutes against the one hour allotted by the Business Advisory Committee for this Jammu & Kashmir Representation of People (Supplementary) Bill.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सरकार की गलती के कारण हुआ ।

MR. SPEAKER : Therefore, the question now is to finish it quickly. Bakshi Gulam Mohammad may resume his speech.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं अर्ज कर रहा था और आनरेबल मिनिस्टर की तवज्जह भी दिलाई थी कि जब एलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन काश्मीर में लागू है तो उस सूरत में यह बेहतर होगा कि तमाम ऐनोमोलीज और लैकुने जो उस में रह गये हैं, उन को दूर करने के लिये पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट इन इट्स एन्टायरिटी स्टेट पर लागू कर दिया जाये । क्योंकि यह एक अजीब सी बात हो जाती है कि एक तरफ तो एलेक्शन कमीशन फंक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एलेक्शन कमीशन उस अन्दाज से फंक्शन नहीं कर सकता जिस तरह से पूरे मुल्क में कर रहा है ।

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

12.41 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इस लिये में समझता हूं कि यह बेहद जरूरी है कि मेरे इस सजेशन को गोशगुजार किया जाये और कोशिश की जाये कि पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट वहां पर लागू हो जाये। अगर आप को इस के लिये स्टेट की कंसेंट चाहिये तो आप वह भी ले सकते हैं। जब स्टेट ने एलेक्शन कमीशन का जूरिस्डिक्शन लागू करने की सहूलियत दी है तो उस को पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट लागू करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये त कि बी कम क्लोजर टु दि सेन्टर ऐंड टु दि रेस्ट आफ इंडिया। जो कवानीन भी आज लागू हैं वह इस स्टेट में भी लागू किये जायें जिस तरह से तमाम मुल्क में लागू हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आप पीसमील मेजर ला रहे हैं, इस को पास कर दें, लेकिन इस से मसला हल होने वाला नहीं है, इस से और काम्प्लिकेशन्स पैदा हो जायेंगी, जैसे कि श्री लिमये ने कल चन्द बातें आप के सामने रक्खीं।

दूसरी बात की तरफ कल यहां आनरेबल मेम्बर ने इशारा किया। शायद वह काश्मीर की हालात से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, वाकिफ तो हर एक है, लेकिन बहुत ज्यादा वाकफियत उन्हें नहीं है। जहां तक फौज का ताल्लुक है, उन्होंने आर्मी पर्सोनेल का नाम लिया, चारों एलेक्शन्स में, यानी 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में, उस का कतअन कोई दखल नहीं रहा है। एलेक्शन्स के मौके पर आर्मी अपना अपना काम करती रही मुल्क के बार्डर्स पर। सिक्योरिटी आफ दि स्टेट के सिलसिले में मैं यह चीज साफ कर देना चाहता हूं क्योंकि इस से गलतफहमी पैदा होने का कुछ एहतमाल है। हम ने कहा है कि वहां हमारी फौज नहीं बढ़ेगी। जितनी जरूरत है फ़ार दी सिक्योरिटी आफ दि बार्डर्स, उतनी होगी। उन्होंने आर्मी पर्सोनेल जब कहा तब शायद उन का खयाल पुलिस की तरफ था। उस के लिये मैं जितना कम कहूं उतना बेहतर है।

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आप से फिर गुजारिश करना चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब जो पीसमील लेजिस्लेशन लाये हैं, मेरे खयाल में ऐवान के दोनों तरफ के किसी भी शख्स को उस पर जरा भी ऐतराज नहीं होगा कि जब एलेक्शन कमीशन का जूरिस्डिक्शन है तो पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट इस स्टेट में भी लागू कर दिया जाये।

[شری غلام محمد بخشی (سری نگر) :

ادھیکش مہودئے - کل میں عرض کر رہا تھا اور آنریبل منسٹر کی توجہ بھی دلائی تھی کہ جب ایلیکشن کمیشن کا جوریزڈکشن کاشمیر میں لاگو ہے تو اس صورت میں یہ بہتر ہوگا کہ اور تمام اینومولیز اور لیکونے جو اس میں رہ گئے ہیں - ان کو دور کرنے کے لئے پیپلس ریپویزینٹیشن ایکٹ ان اٹس اینٹائریٹی اسٹیٹ پر لاگو کر دیا جائے - کیونکہ یہ ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو ایلیکشن کمیشن فنکشن کر رہا ہے - لیکن دوسری طرف ایلیکشن کمیشن اس انداز سے فنکشن نہیں کر سکتا جس طرح سے پورے ملک میں کر رہا ہے -

12.41 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حد ضروری ہے کہ میرے اس سجیشن کو گوش گزار کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ پیپلس

ریپریزینٹیشن ایکٹ وھاں پر لاگو ھو جائے - اگر آپ کو اس کے لئے اسٹیٹ کی کنسنٹ چاھئے تو آپ وہ بھی لے سکتے ھیں - جب اسٹیٹ نے انجیکشن کمیشن کا جوریزڈکشن لاگو کرنے کی سہولت دی ھے تو اس کو پیپلس ریپریزینٹیشن ایکٹ لاگو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ھونا چاھئے - تاکہ وی کم کلوزر ٹو دی سینٹر اینڈ ٹو دی ریسٹ آف انڈیا - جو قوانین بھی آج لاگو ھیں وہ اس اسٹیٹ میں بھی لاگو کئے جائیں جس طرح سے تمام ملک میں لاگو ھیں -

دوسری بات میں یہ کہنا چاھتا ھوں کہ یہ جو آپ پیسمیل میزر لا رھے ھیں - اس کو پاس کر دیں - لیکن اس سے مسئلہ حل ھونے والا نہیں ھے - اس سے اور کامپلیکیشنس پیدا ھو جائیں گی - جیسا کہ شری لیمئے نے کل چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں -

دوسری بات کی طرف کل یہاں ایک آنریبل ممبر نے اشارہ کیا - شائد وہ کاشمیر کی حالات سے بہت زیادہ واقف نہیں ھیں - واقف تو ھر ایک ھے - لیکن بہت زیادہ واقفیت انہیں نہیں ھے - جہاں تک فوج کا تعلق ھے - انہوں نے آرمی کا نام لیا - چار ایلیکشنس میں - یعنی ۱۹۵۲ میں - ۱۹۵۷ میں - ۱۹۶۲ اور ۱۹۶۷ میں - اس کا قطعاً کوئی دخل نہیں رہا ھے - ایلیکشنس کے موقع پر آرمی اپنا اپنا کام کرتی رھی ملک کے بارڈرس پر - سیکیوریٹی آف دی اسٹیٹ کے سلسلہ میں میں یہ چیز صاف کر دینا چاھتا ھوں کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ھونے کا کچھ احتمال ھے - ھم نے کہا ھے کہ وھاں ھماری فوج نہیں بڑھے گی - جتنی ضرورت ھے فار دی سیکیوریٹی آف دی بارڈرس - اتنی ھوگی - انہوں نے آرمی پرسونیل جب کہا تب ان کا خیال شائد پولیس کی طرف تھا - اس کے لئے میں جتنا کم کہوں اتنا بہتر ھے -

اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے پھر گذارش کرنا چاھونگا کہ منسٹر صاحب جو پیسمیل لیجسلیشن لائے ھیں - میرے خیال میں ایوان کے دونوں طرف کے کسی بھی شخص کو اس پر ذرا بھی اعتراض نہیں ھوگا کہ جب ایلیکشن کمیشن کا جوریزڈکشن ھے تو پیپلس ریپریزینٹیشن ایکٹ اس اسٹیٹ میں بھی لاگو کر دیا جائے -]

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): When the Bill was moved by the Law Minister first, the hon. Member Shri Madhu Limaye raised certain objections and to remove those objections the amendments have been proposed by the Minister and even then the hon. Member has again come with certain objections that Art. 327 has not been observed in the Parliament's proclamation. Article 327 has no bearing on the subject. Really Article 138 has its bearing on the Act. I would remind

[Shri Krishna Kumar Chatterji].

my hon. friend Shri Madhu Limaye that he made certain insinuating allegations against the Government. It was said that in moving this amendment the idea is that certain legal objections should remain and the Supreme Court will find those objections valid so that the appeals will really be infructuous. I wish to remind hon. Members on the opposite side that parliamentary democracy is in great danger in this country. We are facing a great peril and all of us must try hard to see that parliamentary democracy survives against the onslaught from various quarters due to defections from all parties in different State legislatures.

Jammu and Kashmir area is a very sensitive one. What is the fault of the Chief Minister, Mr. Sadiq, who has been trying to bring about complete integration of Jammu and Kashmir to India. The elections there were run on the basis of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act. Any lacuna there or anything in any election petition will be coming before the Supreme Court and that supreme body will remedy any wrong that might have been done there.

So far as Shri Limaye's contention that long delays will be there is concerned, I feel that Supreme Court is the real place where it is expected that such delays will not occur and the Jammu and Kashmir legislature will be functioning through proper legislative elections.

With these few words, Sir, I remind the House that it is essential that Members of both the Opposition and the Ruling Party should all struggle hard so that parliamentary democracy is not endangered in Jammu and Kashmir State where there is already so much trouble and danger about the independence of India. I, therefore, request all Opposition Members to withdraw their objections so that unanimously we can pass this amending Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are more objections.

12.48 hrs.

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये सरकार की ओर हाउस की तवज्जह मबज़ूल कराना चाहता हूं कि काश्मीर का मसला एक बिल्कुल अलग हैसियत रखता है । जब राजा साहब आ गये थे तब शेख साहब ने, बक्शी साहब ने और दूसरे लोगों ने राजा साहब को मजबूर किया कि वह हिन्दुस्तान के साथ समझौता करें और यह याद रहे कि उस वक्त काश्मीर के साथ एक अलग सलूक करने का फैसला किया गया था । इसलिये किया गया था कि चूंकि जूनागढ़ और मंगरोल के नवाब पाकिस्तान चले गये थे और कहा था कि उन को हक हासिल है वहां जाने का । लेकिन सरदार पटेल ने अपने आहिनी पंजों से उस को दबाया, क्योंकि वहां की जनता इस बात को नहीं चाहती थी । इस वक्त क्या हम इस बात को भूल जायेंगे ।

जैसा बख्शी साहब ने कहा कि यहां भी लागू करो और वहां भी लागू करो । लेकिन इस के बारे में मुझे डर है क्योंकि रिफरेन्डम की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी । अगर यह सवाल वहां पैदा हो और आप बजाय उन का दिल जीतने के उन को डंडे के जोर से दबाना चाहें और इस तरह से बोगस एलेक्शन्स करा कर अपनी हुकूमत चलाना चाहें तो मैं नहीं समझता कि इस तरह आप देश की कोई सेवा करेंगे । अगर हम जीत सकते हैं तो उन के दिल जीत सकते हैं, और दिल जीतने हैं तो फिर आप को अच्छी तरह से एलेक्शन कराने चाहियें ।

बख्शी साहब कहते हैं कि वहां फौज का कोई असर नहीं है । फौज का असर इस लिये है कि जहां जहां फौज है वहां पर लोग आजादी के साथ अपना पैगाम पहुंचा सकें, यह नामुमकिन है । जो कुछ गोपालन साहब ने कहा, उस का मंशा यह था कि इस तरह से जो फेअर और फ्री एलेक्शन्स हम चाहते हैं वह नहीं होंगे ।

हाउस से और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि काश्मीर के मसले को सही तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाय ताकि वहां पर जो आग लगी है वह ठंडी हो और काश्मीर के अवाम दिलो जान से आपके साथ रहें और आप के साथ मिल कर पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। मैं समझता हूं कि जोश में आकर या गुस्से में आ कर हमें काम नहीं करना चाहिये अगर हम खयाली दुनिया में रहें तो यह मुनासिब नहीं होगा। कहीं ऐसा न हो कि मंगरोल और जूनागढ़ की तरह से वहां के लोगों के जज़बात हमारे खिलाफ हो जाएं और हमें बाद में दिक्कत हो ।

[شری عبدالغنی ڈار (گوڑگاؤں) : اپادھیکش مہودے۔ میں آپ کے ذریعہ سرکار کی اور ھاؤس کی توجہ مبذول کرانا چاھتا ھوں کہ کاشمیر کا مسئلہ ایک بالکل الگ حیثیت رکھتا ھے۔ جب راجہ صاحب آ گئے تھے تب شیخ صاحب نے۔ بخشی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے راجہ صاحب کو مجبور کیا کہ وہ ھندوستان کے ساتھ سمجھوتہ کریں اور یہ یاد رھے کہ اس وقت کشمیر کے ساتھ ایک الگ سلوک کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس لئے کیا گیا تھا کہ کیونکہ جونا گڑھ اور بنگرول کے نواب پاکستان چلے گئے تھے اور کہا تھا کہ ان کو حق حاصل ھے وھاں جانے کا۔ لیکن سردار پٹیل نے اپنے آھنی پنجوں سے اس کو دبایا۔ کیونکہ وھاں کی جنتا اس بات کو نہیں چاھتی تھی۔ اس وقت کیا ھم اس بات کو بھول جائیں گے۔

جیسا بخشی صاحب نے کہا کہ یہاں بھی لاگو کرو اور وھاں بھی لاگو کرو۔ لیکن اس کے بارے میں مجھے ڈر ھے کیونکہ ریفرینڈم کی بات پنڈت جواھر لال نہرو نے چلائی تھی۔ میں نے نہیں چلائی تھی۔ اگر یہ سوال وھاں پیدا ھو اور آپ بجائے ان کا دل جیتنے کے ان کو ڈنڈے کے زور سے دبانا چاھیں اور اس طرح سے بوگس ایلیکشن کرا کر اپنی حکومت چلانا چاھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح آپ دیش کی کوئی سیوا کریں گے۔ اگر ھم جیت سکتے ھیں تو ان کے دل جیت سکتے ھیں۔ اور دل جیتنے ھیں تو پھر آپ کو اچھی طرح سے ایلیکشن کرانے چاھئیں۔

بخشی صاحب کہتے ھیں کہ وھاں فوج کا کوئی اثر نہیں ھے۔ فوج کا اثر اس لئے ھے کہ جہاں جہاں فوج ھے وھاں پر لوگ آزادی کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ یہ ناممکن ھے۔ جو کچھ گوپالن صاحب نے کہا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ اس طرح سے جو فیئر اور فری ایلیکشن ھم چاھتے ھیں وہ نہیں ھونگے۔

ھاؤس سے اور سرکار سے میری ریکویسٹ ھے کہ کاشمیر کے مسئلے کو صحیح طریقہ سے سلجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ وھاں پر جو آگ لگی ھے وہ ٹھنڈی ھو

[شری عبدالغنی ڈار]

اور کاشمیر کے عوام دل و جان سے آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کا مقابلہ کر سکیں ۔

میں سمجھتا ہوں کہ جوش میں آکر یا غصے میں آ کر ہمیں کام نہیں کرنا چاھئے ۔ اگر ہم خیالی دنیا میں رھے تو یہ مناسب نہیں ہوگا ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ منگرول اور جونا گڑھ کی طرح سے وہاں کے لوگوں کے جزبات ھمارے خلاف ہو جائیں اور ھمیں بعد میں دقت ہو ۔]

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मुझे लगता है कि मेरे भाई अभी जो फरमा रहे थे वह कुछ गलतफहमी में आ कर कह रहे थे । जहां तक इलैकशंज़ का सवाल है सभी चाहते हैं कि फ्री एण्ड फेयर इलैक्शंज़ काश्मीर में हों और इसी लिए सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को वहां एक्सटेंड करने की बात हुई है और इलैक्शन की भी बात हुई है । बख्शी साहब कह रहे थे कि सारा का सारा जो इलैक्शन के बारे में हमारा कानून है उसको वहां पर भी लागू कर दिया जाए । मैं समझती हूं क इस में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिये, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये, न काश्मीर वालों को और न ही यहां वालों को ।

दूसरे सवालों को इस के साथ जोड़ना कुछ बेमानी सा लगता है । इस वक्त हर एक की ख्वाहिश है कि काश्मीर में भी फ्री एंड फेयर इलैक्शन हों और इसी मुद्दे से यह जो कानून है यहां आया है । साथ ही जो तजवीज़ बख्शी साहब की तरफ से पेश की गई है वह भी आपके सामने है । मैं तो इतना ही अर्ज़ करना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान का सारा जो इलैक्शन का सिलसिला है और जिस तरह से यहां इलैक्शन होते हैं उसने दुनिया भर में इज्ज़त पाई है और दुनिया भर यह कहती है कि हिन्दुस्तान में फ्री एण्ड फेयर इलैक्शन होते हैं । उसी तरह से काश्मीर में भी हो जायें इसमें किसी को क्या उज्र हो सकता है, यह समझने में न आये ऐसी बात है ।

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have no quarrel with the purpose of the Bill, because it is necessary to have such a provision. The provision in the Jammu and Kashmir Act is without jurisdiction and, therefore, the Parliament has to come with a legislation to provide for that. But what I was objecting to was the process. Anyway, if the Government wants to take the risk and take this stigma that was hurled by the hon. Member, Shri Limaye, that really shows that the Government wants that the Act should be declared *ultra vires*. If they want to take that risk, let them take it; I have no objection.

श्री प्र० सिं० सहगल (बिलासपुर) : आपके सामने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन जहां तक इलेक्शंज का सम्बन्ध है, काश्मीर तक एक्स्टेंड करने का बिल आया है । भारत में चार इलैक्शन हो चुके हैं और मैं जिस प्रकार से इलैक्शन कमिशन ने और उसके अधीन काम करने वालों ने कार्य किया है, उसके लिए उनको बधाई देता हूं । उन्होंने इस अच्छे काम को करने और इस खूबी से इसको करके न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया में भी नाम पाया है । इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पर इलैक्शन बहुत ही फेयर और साफ होते हैं । काश्मीर जो कि हमारा एक पार्ट है और जिस को आज एहम मान्यता भी देते हैं, उसी बारे में कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं । लेकिन मैं इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि पीसमील तरीके

से कानून को काश्मीर पर लागू करने के पक्ष में मैं नहीं हूं, पूरा का पूरा जो कानून है उसको हमें काश्मीर पर भी लागू कर देना चाहिये। पूरा कानून जो हिन्दुस्तान में लागू है वह काश्मीर में भी लागू होना चाहिये ताकि वहां के लोगों को पूरी फ्रीडम मिले और फ्रीडम के साथ वहां के लोग काम करें और उनको पूर्ण विश्वास हो कि हमारे यहां पर बाकी देश के साथ फ्री और फेयर इलैक्शन होते हैं।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मूल विधेयक में सुधार करके तो सरकार ने अच्छा काम किया है और इसके द्वारा सरकार रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल एक्ट की धारा 106(ए) (बी) और (सी) को जम्मू काश्मीर पर भी लागू करने जा रही है लेकिन मैं समझता हूं कि इतने मात्र से काम नहीं चल सकता है। यदि जम्मू काश्मीर के कानून को भारत के कानून के स्तर पर लाना है तो यह अत्यावश्यक है कि रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल एक्ट को भी जम्मू काश्मीर में पूरे तौर पर लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरह से हमारे देश का कानून है उसी तरह से काश्मीर का भी होना चाहिए और ये दोनों कानून एक जैसे होने चाहियें।

जो कानून काश्मीर पर लागू है वह बहुत डिफैक्टिव है, दोषपूर्ण है और वह सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक नहीं सकेगा। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि जम्मू काश्मीर से पार्लिमेंट का सदस्य कौन हो इसका निर्णय जम्मू काश्मीर की विधान सभा ने किया है इसकी वहां के कानून में व्यवस्था की गई है। उसके यहां भी रिप्रिजें-टेशन आफ पीपल एक्ट है उसके अधीन जो इलैकशन के लिए खड़ा होता है उसकी क्वालि-फिकेशन क्या होनी चाहिये और डिसक्वालि-फिकेशन क्या होनी चाहिये, इसका निर्णय वहां की विधान सभा करेगी और उसने किया भी है। क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिके-शन का जहां तक सम्बन्ध है उसका जो कानून है वह भारत के कानून से बिल्कुल भिन्न तो नहीं है लेकिन उससे अलग जरूर है, इन दोनों में अन्तर अवश्य है। जैसे संसद का सदस्य रहने के कारण या विधान सभा का सदस्य रहने के कारण या किसी और पद पर रहने के कारण अगर किसी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो वह इलैक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, इस प्रकार का वहां के रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। पार्लिमेंट जोकि हिन्दुस्तान की सावरेन बाडी है उसका सदस्य कौन हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है, इसका निर्णय करने का अधिकार जम्मू काश्मीर की स्टेट असैम्बली को दिया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसा पार्लिमेंट के अधिकारों पर कुठाराघात करना है। और इसको हम कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से और कोई संतोषजनक समाधान खोजना चाहते हैं तो सारे भारत के कानून को आप जम्मू काश्मीर पर भी लागू कर दें। शैडयूल की जो 72वीं धारा है उसको कनकरेंट लिस्ट से हटा कर केन्द्रीय सरकार ले ले और उसके द्वारा पूर्ण एक्ट को वह वहां पर लागू कर दे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक बहुत बड़ी एम्बिगुइटी रहेगी और यह कानून ठहर नहीं सकेगा और इसको रद्द होना पड़ेगा।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : दो तीन मिनट में मैं अपनी जवावी बात खत्म कर दूंगा।

बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बाज ऐसे गिरोह और बाज ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जिन की सारी कोशिश इस बात पर सर्फ हो रही है कि इस मुल्क में पालियामेंटरी डेमोक्रेसी के इमेज को इस तरह से खराब किया जाए कि लोगों का भरोसा पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी पर जमा न रहे और इस मक्सद को हासिल करने के लिए प्राबलम्ज पैदा करते हैं हकूमत को मजबूर करते हैं कि उन प्राबलम्ज पर गौर करे और उनकी आवाज पर हमदर्दाना गौर करने के बाद जब कोई वैसा ही करता

[श्री मु० युनस सलीम]

है जैसा वे चाहते हैं तो फिर खुद उसी पर एतराज कर देते हैं ।

मझे बहुत हैरत हुई जब मैंने कल आनरेबल मेम्बर श्री मधु लिमये की तकरीर को सुना । आप को याद होगा कि गुजिश्ता मर्तबा जब यह बिल पेश किया गया था उसका मकसद यह था कि जो लीगल प्राविजज़ जम्मू काश्मीर रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल एक्ट में नाफिज़ की गई हैं उनको इस हाउस में कानून की हैसियत से एडाप्ट कर लिया जाए तब मधु लिमये जी ने एतराज किया था कि उन सैक्शंज़ को एडाप्ट करने की जरूरत नहीं है बल्कि हमारा जो रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल एक्ट है उसके मुतसिल सैक्शन जो हैं उनको वहां लागू कर दिया जाए । उनको लागू करने के लिए ला मिनिस्टर ने यह कहा था कि अच्छी बात है, यह मामूली बात है, हम इसको एमेंडमेंट के ज़रिऐ से प्रोपोज़ कर देंगे । चुनाचे इस मकसद को हासिल करने के लिए प्रेजीडेंट साहब का आर्डर हासिल किया गया और इस एमेंडमेंट को पेश किया गया । यानी यह कि यह एमेंडमेंट उन्हीं की तहरीक की बुनियाद पर इस तरह से आया है हाउस के सामने । फिर भी आज उनकी जुरअत होती है कि यहां वह एतराज़ करें और यह कहें कि यह एमेंडमेंट इस गर्ज़ से लाया गया है कि जम्हूरियत को काश्मीर में नाकाम किया जाए और सादिक साहिब की हकूमत को जोकि एक और कानूनी तरीके से वहां पावर में आ गई है उसको नाफिज रखा जाए और उस रियासत में जम्हूरियत को तबाह किया जाए । उन्होंने यह भी कहा कि वहां जम्हूरियत को तबाह किया जा रहा है और सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसका साथ दिया जा रहा है । ये सब बातें सुन कर मुझे बहुत हैरत हुई है ।

13 Hrs.

इस बिल का मकसद जैसा मैंने कल अपनी तकरीर में अर्ज किया था, बहुत लिमिटेड है मकसद इतना ही है कि जो तरमीम रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल एकट में जम्मू काश्मीर लैजिस्लेटिव असैम्बली ने की है उसको एडाप्ट करके सेंट्रल लैजिलेशन के ज़रिये से सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को एनलार्ज कर दिया जाए ।

दुनिया में कोई डेमोक्रेसी उस वक्त तक प्रासपर नहीं हो सकती है, जब तक कि उस की जुडिशरी स्ट्रौंग न हो । यह एक एडमिटिड फेक्ट है कि हमारी हाइएस्ट जुडिशरी, हमारी सुप्रीम कोर्ट, पर सारी दुनिया और सारे मुल्क को भरोसा है । इस लिए हम ने डेमोक्रेसी के तहफ्फ़ुज़ के लिए, डेमोक्रेसी की जड़ों को मज़बूत करने के लिए, काश्मीर के लिए इस इन्तज़ाम को कुबूल किया है, न कि डेमोक्रेसी को तबाह करने के लिए । यह बहुत अजीवो गरीब मनतिक है । मुझे बड़ी हैरत हुई, जब मेरे लायक दोस्त, बख्शी गुलाम मुहम्मद, ने कहा कि जो कुछ भी मधु लिमये ने कहा है, वह उस की ताइद करते हैं । मेरे लायक दोस्त यह भूल गए कि यह कानून उन के जमाने का लाया हुआ है और उन के ज़माने में यह कानून था ।

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : If he says that, I should be given the chance to rebuff and explain his position.

श्री मु० यूनस सलीम : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये जितनी तकरीरें हुई हैं, उन का ताल्लुक इस बिल से नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सियासी नोऐयत की तकरीरें हैं और उन में कोई वज़न नहीं है ।

मैं गुज़ारिशें करता हुं कि इस बिल को पास किया जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Bill, as amended, is passed.

The House stands adjourned to meet again at 2 O' Clock.

13.02 Hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1968-69 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1967-68

MR. DEPUTY-SPEAKER : As the Speaker has already announced, the time allotted for these Demands has already been exhausted; only the reply remains to be given by the Railway Minister. Yet, I will permit a few minutes to all sections of the House, and I would request the hon. members to be very brief.

MR. K. N. TIWARI : Just one minutes.... (*Interruptions*) Accident does not concern only Congress or non-Congress; everybody is concerned with it.

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रेलवे का ऐक्सीडेंट अभी हुआ है उस के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट आज सुबह दिया था। ऐसे ऐक्सीडेंट दुनिया में सभी जगह होते हैं इसलिए यह कहना कि इस के लिए रेस्पांसिबिल खाली मिनिस्टर हैं और उनको रिजाइन करना चाहिए, यह ठीक नहीं है। एक्सीडेंट एयरोप्लेन में होता है, मोटर कार का होता है, बसेज़ का होता है। सब जगह ऐक्सीडेंट सारी दुनिया में होता है। सारी दुनिया का यह नियम है। लेकिन सावधानी बरतना भी काम है उस विभाग का जो विभाग इस को चलाता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं रेलवे मंत्री महोदय से कि कम से कम जूडिशियल एन्क्वायरी इस मामले में जरूर इन्स्टीट्यूट की जाय जिसमें सब को संतोष हो। बस, यही मुझे कहना है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस दर्दनाक दुर्घटना की खबर दी गई है उस से सारे सदन में चिन्ता हुई है। इससे पहले भी रेलों में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं जिन से यात्रियों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। प्रश्न यह है कि यह ताजी दुर्घटना क्यों हुई ? जो विवरण मन्त्री महोदय ने दिया है उस से पता लगता है कि स्टेशन पर गाड़ियां टकरा गईं। मैंने अभी मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या इस के लिए कंट्रोलर जिम्मेदार है तो उन्होंने मुझे बताया कि यह स्टेशन कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित नहीं होते। इस का अर्थ यह है कि दो तरह की गलतियां हो सकती हैं। या तो गाड़ी को सिगनल न मिला हो और ड्राइवर बिना सिगनल की परवाह किए हुए स्टेशन पर आ गया हो जिस से खड़ी हुई गाड़ी से उस की टक्कर हो गई हो। दूसरा यह हो सकता है कि जो स्टेशन कर्मचारी हैं स्टेशन मास्टर या प्वाइंटमैन इन्होंने एक गाड़ी खड़ी हुई देख कर भी दूसरी गाड़ी को आने का संकेत दे दिया हो। मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, एक अदालती जांच होनी चाहिए। रेल मंत्रालय द्वारा की गई जांच या रेलवे इंसपेक्टर द्वारा की गई जांच जनता को संतोष नहीं दे सकती।

एक बात और कि यह दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। मेरा निवेदन है कि दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, दुर्घटनाएं की जाती हैं। अगर नियमों का ठीक तरह से पालन किया जाय, अगर कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का दक्षता से निर्वाह करें और जिन परिस्थितियों में वह ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं वैसी परिस्थितियां पैदा की जायें तो इस तरह की दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है: प्राकृतिक प्रकोप के कारण होने वाली दुर्घटनायें अलग हैं। मुझे खेद है कि दुर्घटनाएं जब रेल में बढ़ती हैं तो फिर सेफ़्टी इंसपेक्टर की संख्या बढ़ाई जाती है मगर स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारी किन कठिनाइयों में काम कर रहे हैं इस के बारे में उन से कभी विचार